राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर

RHCB/STORE/2014-2015/2991 दिनाँक: 16-10-2014

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ कार्यालय जयपुर में दैनिक एवं पूरक वाद सूची (Daily and supplementary Cause List) प्रकाशन हेतु अनुभवी प्रिंटर्स से निविदा स्वीकार करने की तारीख से एक वर्ष के लिये मुहरबंद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। एक वर्ष में लगभग 210 कार्यदिवस की दैनिक वाद सूची तैयार की जानी है। एक दिन में लगभग पचास हजार पेपर पर कॉज लिस्ट तैयार की जानी है जो कि पेपर के दोनों तरफ मुद्रित होनी है। निविदा का विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें तथा टेण्डर फॉर्म विभागीय रोकड़िया से दिनाँक 27-10-2014 से 10-11-2014 तक कार्यालय समय 10.30 से 4.30 बजे तक 400/- रूपये नगद जमा करा कर या रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नाम 400/- रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाए रजिस्ट्रार (प्रशासन) के कार्यालय में दिनाँक 11-11-2014 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा करायी जा सकेगी जो उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा दाता की अनुमानित लागत रूपये 50.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से 2% अर्नेस्ट मनी की राशि 1,00,000/- (एक लाख रूपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नाम देना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। रजिस्ट्रार (प्रशासन) को किसी भी निविदा को स्वीकार/ अस्वीकार करने का या निविदा की तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। कॉजलिस्ट के बारे में अधिक जानकारी राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) से प्राप्त की जा सकती है।

16/10

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

Tender form Printing of Cause List
Tender form fee Rs 400/-
Due date 11.11.2014 up-to 11.00 A.M.

RAJASTHAN HIGH COURT BENCH JAIPUR

TENDER FORM

1.Tender for ....

2.Name and postal address of the firm submitting tender ....

....

....

....

3.Address to ....

....

4.Reference ....

5.The tender fee amounting to Rs. 400/- has been deposited vide cash receipt No. .... and date ....

6.We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice No. RHCB/STORE/2014-2015/299 dt. 16.10.2014 and also the further condition of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of which have been signed by us in token of our acceptance of the term mentioned therein).

7. The rates for the Printing of Cause List noted against are as under -:

Sr. No.	*Name of work*	*EMD 2%*	*Offered rates by the firm, valid for one year from dt. of order*
1	Cause List both side Printing on 52 GSM, White paper including paper, A-4 Size (as per prevailing sample)		

8.The rates quoted above shall be valid for a period of one year from the date of acceptance. The period can be extended with mutual agreement, as per rules.

09.Bank Draft/Bankers Cheque No. .... drawn on .... (Name of Banker)/ cash receipt No. .... /Challan No. and date .... for Rs. .... to cover earnest money is enclosed.

10.The Income Tax Clearance Certificate , Sales Tax Registration Number and Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

11.Decleration of manufacturer/Dealer or service provider, etc., is also enclosed.

Signature of tender

कॉज लिस्ट प्रिंटिंग हेतु निविदा की शर्ते

1. निविदा-दाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें ।
2. निविदाऐं मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं ।
3. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये ।निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छाँट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए।
4. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिये।
5. निविदा में प्रिन्टिंग की दरें 52 GSM White Paper A- 4 Size में प्रति हजार पेपर Both side printing की दरें दी जावे, तथा पेपर का Sample संलग्न होना चाहिये ।
6. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों पर कॉजलिस्ट प्रिन्टिंग के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा । (सबलेट नहीं करेगा)
7. यदि कॉजलिस्ट की प्रिन्टिंग एवं आपूर्ति उच्च न्यायालय प्रशासन की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है अथवा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता को अवसर दिया जा सकेगा।
8. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
9. आदेश जारी किये जाने के बाद कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी प्रतिदिन निर्धारित समय पर करनी होगी। कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी समय पर नही करने पर प्रति दिवस 25000/- रुपये की Penalty दण्डस्वरूप वसूल की जावेगी। साथ ही कॉजलिस्ट तैयार करने का खर्च वसूल किया जावेगा तथा अमानत राशि भी जब्त कर ली जावेगी।
10. यदि क्रेता अधिकारी कॉजलिस्ट प्रिन्ट नही करवाता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम कार्य करवाया जाता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
11. निविदा के साथ निविदादाता को 2% बयाना राशि रुपये 1,00,000/- लाख का डी.डी. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,जयपुर के नाम से देय होगा ।
12. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्यूरिटि डिपोजिट रूपये जमा करानी होगी । बयाना राशि सिक्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी ।
13. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विहित समय में करार निष्पादित नही करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी ।
14. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।
15. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
16. क्रय समिति को कॉजलिस्ट की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओ को निगोशियेसशन के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नही पाये जाने पर अथवा सामग्री वांछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। जिसके लिए निविदादाता कोई दावा नहीं करेगा।

17.सप्लीमेन्ट्री कॉजलिस्ट उसी दिन सायंकाल 5.00 बजे से 6.00 बजे के मध्य डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा हार्ड कॉपी (प्लेन व्हाइट पेपर पर) के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी जो रात्रि 11.00 बजे तक अर्थात हार्ड कॉपी (प्लेन व्हाइट पेपर पर) उपलब्ध कराने के 5 घंटे के भीतर निर्धारित संख्या में मुद्रित कर कॉजलिस्ट की प्रतियाँ मशीन मैन को सेट बनाकर सुपुर्द करनी होगी।

18.मुख्य कॉजलिस्ट उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा हार्ड कॉपी (प्लेन व्हाइट पेपर पर) उसी एक दिन पूर्व सांय काल 5 से 6 बजे के मध्य दी जावेगी जिसमे आदेशानुसार निर्धारित संख्या मे मुद्रित कर कॉज लिस्ट की प्रतियाँ तैयार कर अगले दिन सुबह 11 बजे तक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के कॉजलिस्ट अनुभाग मे मशीनमेन को सेट बनाकर सुपुर्द करनी होगी

19.माननीय क्रय समिति कार्य की प्रकृति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता एवं निगोसियेशन के लिए बुलवाने के लिए स्वतन्त्र होगी।

20.निविदादाता वाँछित अनुभव, अपने सैट अप एवं अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न करेगा । निविदादाता अपने सेट अप मे किये गये कार्य के नमूने भी संलग्न करेगा। माननीय क्रय समिति या उसके प्रतिनिधि निविदादाता की कार्य क्षमता का निरीक्षण कर तदानुसार निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

21.अनुबंध की अवधि में कार्य के संतोषप्रद निष्पादन पर अनुबंध की अवधि पारस्परिक सहमति से आगामी एक वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी।

22.समस्त वैधानिक कर - दायित्वों (Legal / Statutory liabilities) की पूर्ति की जिम्मेदारी निविदा दाता की स्वयं की होगी।

23.निविदा दाता को कार्य के निष्पादन मे श्रम अधिनियम के सभी नियमों का पालन करना होगा।

24.माननीय क्रय समिति कार्य की प्रकृति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता एवं निगोसियेशन के लिए बुलवाने के लिए स्वतन्त्र होगी।

25.सफल निविदादाता / निविदादाताओं को प्रथम सात दिन तक ट्रायल बेसिस पर कार्य करना होगा। कार्य संतोषजनक होने पर ही कार्यादेश की पुष्टि की जावेगी।

26.बिल महिने की एक तारीख को प्रस्तुत किया जावेगा जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) एवंम न्यायालय अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने पर भुगतान हेतु पारित किया जावेगा, जिसमें प्रति दिन मुद्रित होने वाले कॉजलिस्ट के पृष्ठ तथा प्रतियाँ एवं कुल पृष्ठ अंकित होंगे।

27.कॉजलिस्ट प्रकाशन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) से ही प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी शंका के निवारण के लिये उप रजिस्ट्रार (न्यायिक) व रजिस्ट्रार (प्रशासन) ही अधिकृत है।